1. हीरालाल,
2. लादूराम,
3. हरिनारायण,
4. नोरतन,
5. गिर्राज पुत्रान स्व. श्री कन्हैयालाल, जाति कोली निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. जमनालाल पुत्र भुवाना, जाति कोली निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

3. श्रीमती मूली देवी बेवा स्व. कन्हैयालाल, जाति कोली निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल, जाति कोली निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

5. प्रभूनारायण पुत्र गंगासहाय बैरवा,
6. बलदेव पुत्र गंगासहाय बैरवा,
7. ओमप्रकाश पुत्र महादेव बैरवा, समस्त निवासी कालवानियों का मौहल्ला कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री रोश कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री प्रेमप्रकाश शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, व 5 लगायत 7 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 18.07.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के मद नम्बर पांच में वर्णित तथ्य से यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि ग्राम कानोता का राजस्व नक्शा जीर्णशीर्ण अवस्था में व फटा हुआ है ऐसी स्थिति में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय से जिस राजस्व नक्शे के जरिये पत्थरगढ़ी करावाना चाह रहा है, वह फटा हुआ है इससे साफ जाहिर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

होता है कि राजस्व नक्शे के अभाव में पत्थरगढ़ी नही हो सकती लेकिन उसके बावजूद राजस्व नक्शे के अभाव मे अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 विधि विधान एवं तथ्यों के पूर्णतयाः प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडन्ट संख्या 1 एक खसरा नम्बर 1055/655 के सम्बन्ध में दो बातें लेकर चल रहा था एक तरफ तो उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 14/2014 के जरिये वह अधीनस्थ न्यायालय से यह निवेदन कर रहा था कि खसरा नम्बर 1055/655 का राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जावें क्योंकि राजस्व नक्शा छोटा बना हुआ है एवं दूसरा तरफ प्रार्थना पत्र संख्या 36/2015 में यह कहता है कि पूर्व में दिनांक 13.10.2000 को सीमाज्ञान हो गया है जो सही है यानिकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दो रिलीफ अलग-अलग प्रार्थना पत्रों के जरिये चाह रहा था और दोनों प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक ही दिन निस्तारित हुये है फिर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किये गये कथन कि राजस्व नक्शा छोटा है उस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही देकर मनमाने रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 15 साल पूर्व की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.10.2000 को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 को पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि जब पूर्व में दिनांक 13.10.2000 को सीमाज्ञान की जा चुकी थी तो रेस्पोडेन्ट ने उसी समय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र क्यों नही प्रस्तुत किया गया, 15 साल पश्चात् जाकर क्यों प्रस्तुत किया गया इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर किये एवं बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्याय आपके द्वारा की मंशा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करना है एव सही न्याय प्रदान करने के लिये सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से अपास्त किया जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 20.07.2016 को अपीलान्ट्स ने गांव में यह चर्चा सुनी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम कानोता का राजस्व नक्शा न होते हुये भी पत्थरगढी का आदेश पारित करवा लिया है इस पर उन्होने अधिवक्ता के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाई जिसे पढ़ने से अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई एवं उसके

P.T.O.

राजस्व अपील आयुक्त

पश्चात् अधिवक्ता से सलाह करने पर उन्होने अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी इससे पूर्व अपीलान्ट्स को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2016 के पश्चात् अपीलान्ट्स को आगामी तारीख पेशी नही दी गई थी, ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को राजस्व कैम्प के नोटिसेज जारी किये गये थे, ना ही अपीलान्ट्स व उनके अधिवक्ता राजस्व कैम्प में उपस्थित थे इसलिये जानकारी के दिन से अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है फिर भी जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाने हेतु प्रर्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 655/1/2 वर्तमान खसरा नम्बर 1055/655 रकबा 4 बीघा ग्राम कानोता तहसील बस्सी में स्थित है जिसके पडौस में अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 655/1/3 वर्तमान खसरा नम्बर 655/3 व 655/1/1 स्थित है एवं सीमाजोड़ काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि का सीमाज्ञान तहसीदार बस्सी के आदेश दिनांक 22.10.1999 की पालना में दिनांक 13.10.2000 को करवाया गया है एवं निशानात लगाये गये तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 बल में अधिक होने से तहसीलदार बस्सी के आदेश से किये गये सीमाज्ञान को नही मान रहे थे एवं जबरन रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे थे उनके इस कार्य में कुछ भूमि कारोबारी भूमाफिया भी सहयोग कर रहे थे। सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक रेस्पोडेन्ट के काबिज काश्त में दखल दे रहे है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील

P.T.O.

...ीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 17.05.2016 नियत थी तत्पश्चात् प्रकरण में सीधे ही दिनांक 14.06.2016 को न्याय आपके द्वारा कैम्प कानोता में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट्स को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत किसी प्रकार की सूचना दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नही है तथा प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 06.05.2015 के अनुसार अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य कब्जा सम्बन्धित विवाद है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी का यथास्थिति मौका व राजस्व रिकार्ड स्थगन है तथा अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही 15 वर्ष पूर्व दिनांक 13.10.2000 को कराई गई सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी किये जाने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।